

पंचायती राज विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच जल्द होगा करार

सुविधा: सूबे की सभी पंचायतों में जल्द शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। गांवों के लोगों को अपना और परिवार का आधार बनवाने के लिए भटकना नहीं होगा। उन्हें यह सेवा उनके पंचायत सरकार भवन में ही मिल जायेगी। इसके लिए जल्द सभी 8053 पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू होंगे। पंचायती राज विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। आधार केंद्र संचालन के लिए पंचायती राज विभाग और सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के बीच जल्द करार होगा। इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है।

मसौदे के आधार पर विभाग कंप्यूटर सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध करायेगा। कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मों इसका संचालन करेंगे। यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा सीएससी को आधार सेवा केंद्र संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस मिल जायेगा। इसकी अनुमति केंद्र से ले ली गई है।



64 प्रकार की नागरिक सुविधाएं मिलने में आसानी होगी

- आधार बनाने से सुधार तक पंचायत सरकार भवन में होगा
- विभाग आधार केंद्र के लिए कंप्यूटर आदि मुहैया कराएगा

नया आधार बनाने के लिए 75 रुपये शुल्क लगेगा

नया आधार बनाने के लिए संबंधित व्यक्ति को 75 रुपये शुल्क देना होगा। अन्य सेवाओं के लिए भी निर्धारित शुल्क ही देना होगा। अधिक राशि मांगने वाले कर्मों पर कार्रवाई होगी। जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित 21 तरह की सेवाओं के लिए राशि नहीं ली जायेगी। कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित होने पर 64 प्रकार की नागरिक सुविधा मिलने में आसानी हो जायेगी।

यह होगा फार्मूला: केंद्र संचालन के लिए कर्मों का मानदेय आदि का भुगतान सीएससी करेगा। इन कर्मियों का दावा पंचायती राज विभाग के कर्मों के तौर पर नहीं किया जा सकेगा। आधार सेवा केंद्र से प्राप्त राशि में 80

प्रतिशत सीएससी, जबकि 20 फीसदी लाभ की राशि पंचायती राज विभाग को दी जायेगी।

इन सेवाओं के लिए लगेगा शुल्क: आधार कार्ड पंजीकरण और अपडेट, पैन कार्ड और पासपोर्ट,

केंद्रों पर ये सेवाएं मिलेंगी

जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र, कृषि, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग से जुड़ी सेवाएं। छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पेंशन, ड्रिप्लीकेट आरसी, फिटनेस नवीनीकरण, दाखिल-खारिज, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, जमाबंदी, माप तौल उपकरणों की बिक्री के लिए लाइसेंस, राशन कार्ड, राशन कार्ड से नाम हटवाना, राशन कार्ड अपडेट, एलपीसी, दाखिल खारिज के लिए आवेदन, ऑनलाइन जमाबंदी देखना और प्रिंट लेना, ऑनलाइन लगान भुगतान आदि।

बिजली, पानी और अन्य यूटिलिटी बिलों के भुगतान पर निर्धारित शुल्क ली जायेगी। बैंकिंग और बीमा सेवा (लोन, माइक्रो क्रेडिट), रेल, बस या हवाई टिकट बुकिंग के लिए शुल्क लिया जायेगा।